जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

मनरेगा अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत ''ग्राम रोजगार सेवक'' की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का नियमावली संकल्प ज्ञापांक 4729/दिनांक 04.06.2007 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 5958/ दिनांक 17.08.2009 के आलोक में प्रति पंचायत एक-एक ग्राम रोजगार सेवक की स्वीकृति प्राप्त है । तद्नुसार इस जिला में वर्त्तमान में 38 ग्राम रोजगार सेवक के पद रिक्त हैं, जिसकी नियुक्ति की जानी है । इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना है, जो आगामी 1 वर्ष तक वैध रहेगा और भविष्य की रिक्तियों को इस प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा ।

नियुक्ति की शर्त्तें निम्नवत् हैं :-

1. उपर्युक्त पद पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक -7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198, दिनांक 18.04.2016 एवं संकल्प ज्ञापांक-15/नीति नि0-07-10/2016 का.-1065/ राँची, दिनांक 02.02.2017 के आलोक में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही योग्य होगें ।

2. ''ग्राम रोजगार सेवक'' के वर्त्तमान कुल रिक्त 38 पदों का कोटिवार विवरणी इस प्रकार है :- अनारक्षित-18/ अनुसूचित जनजाति-11 (2 बैकलॉग)/ अनुसूचित जाति-03/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-04/ पिछड़ा वर्ग-02 । आवश्यकता एवं रिक्ति के अनुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है । 38 पदों में से दिब्यांग के लिये 01 सीट किसी भी कोटि के लिये आरक्षित होगी । प्रतीक्षा सूची के लिये स्वीकृत आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा । अनुसूचित जनजाति कोटि में कुल 11 रिक्ति में से 2 प्रतिशत् आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित होगा ।

3. ***<u>परिलब्धि</u>*** - 5,200.00 (पाँच हजार दो सौ) रूपये मानदेय, 750.00 (सात सौ पचास) रूपये नियत क्षेत्र भ्रमण भत्ता एवं 100.00 (एक सौ) रूपये मोबाईल कूपन देय होगा ।

4. **अहर्ताएँ** -

(क) ***<u>अनिवार्य योग्यता</u>*** - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई. । मैट्रिक के पश्चात् आई.टी.आई. की स्थिति में आई. टी.आई. के प्राप्तांक प्रतिशत् को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत् के समतुल्य समझा जायेगा ।

(ख) ***<u>अतिरिक्त योग्यता</u>*** -

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी.जी.डी.सी.ए./ पी. जी.डी.बी.ए./ पी.जी.डी.आर.डी. अतिरिक्त योग्यता होगी ।

(b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत् प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा । पी.जी.डी.सी.ए./ पी.जी.डी.बी.ए./ पी.जी.डी.आर.डी. को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत् में 5 घटा दिया जायेगा ।

(c) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा ।

(d) उपर वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी ।

5. ***<u>आयु सीमा</u>*** – (31.01.2017 को) : न्यूनतम 18 वर्ष
अधिकतम आयु सीमा –
(क) अनारक्षित–35 वर्ष
(ख) पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा) 38 वर्ष
(घ) अ.ज.जा./अ.जा.(पु. एवं म.) 40 वर्ष

6. **आरक्षण** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर गोड्डा जिला के तत्समय निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

7. ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी । ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।

8. यदि कोई कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वत: मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी । इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे । परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी ।

9. ग्राम रोजगार सेवक के पद, जिनके नियुक्ति पदाधिकारी उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक हैं । नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के कार्यो की वार्षिक समीक्षा उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक करेंगे तथा आवश्यकता अनुरूप यदि उनके द्वारा यह समुचित समझा जायेगा तो नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी का पदस्थापन स्थल में परिवर्त्तन कर सकेंगे ।

10. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा । उसे आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र देना होगा की झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है । यदि उनका यह शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वत: रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

11. अभ्यर्थी द्वारा नि:शक्ता (दिव्यांग) संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित प्रपत्र (अनुबन्ध–।) पर आवेदन के साथ संलग्न कर देना अनिवार्य होगा । नि:शक्ता (दिव्यांग) संबंधी प्रमाण–पत्र ऑनलाईन वेवसाईट ***www.godda.nic.in*** पर उपलब्ध है ।

12. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों/ जाति एवं निवासी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति स्कैन पर ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है । आवेदन शुल्क की राशि मो0 100/– रु0 है, जो ऑनलाईन भुगतान करना होगा ।

13. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा । आवेदक द्वारा दिनांक 05.03.2017 से दिनांक 15.03.2017 तक अपराह्न 05:00 बजे तक वेवसाईट ***www.recruitment.jharkhand.gov.in*** पर ऑन लाईन आवेदन किया जायेगा ।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक
गोड्डा ।

संस्थान/ अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. : ..... तारीख : .....

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... आयु ..... लिंग ..... पहचान चिन्ह ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी नि:शक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(I). दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II). दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III). दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और बांहे प्रभावित

(IV). एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V). एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI). पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII). कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I). बी–अंधापन

(II). पी बी – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I). डी – बधिर

(II). पी डी – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होनें की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।.....वर्षो.....महिनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में नि:शक्तता का प्रतिशत ..... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :–

(I) एफ– अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(II) पी पी – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(III) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(IV) के सी – घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(V) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(VI) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(VII) एस टी – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(VIII) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(IX) एस ई – देख कर कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(X) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(XI) आर.डब्ल्यू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(डॉ. .....)	(डॉ. .....)	(डॉ. .....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

- जो लागू न हो काट दें ।